निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1947 (श0)

(सं0 पटना 1261) पटना, मंगलवार, 22 जुलाई 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

22 जुलाई 2025

सं० वि०स०वि०–09/2025–**3099**/वि०स०––''बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक, 2025'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक–22 जुलाई, 2025 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव।

[वि०स०वि०–07/2025]

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक, 2025

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (यथासंशोधित) अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 24, 2011) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष मे बिहार राज्य के विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।**–(1) यह अधिनियम बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) धारा–11(2) के परंतुक के अलावा शेष राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से तुरंत प्रवृत होगा।
   (4) धारा– 11(2) का परंतुक पूर्वगामी प्रभाव से उस तिथि से प्रवृत माना जायेगा, जिस तिथि से बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 प्रवृत हुआ है।
2. **प्रस्तावना में दो नई कंडिकाओं को जोड़ा जाना।**–उक्त अधिनियम की प्रस्तावना की कंडिका–V के पश्चात नयी कंडिका–V(क) एवं कंडिका–VI के पश्चात् नयी कंडिका–VI(क) जोड़ी जाएगी।

   ''V(क) चूँकि, राज्य में नगरपालिका के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों में अधिकार अभिलेखों के निर्माण एवं संधारण के लिए बिहार एवं उड़ीसा म्युनिसिपल सर्वे अधिनियम, 1920 के तहत किए गए सर्वेक्षण के अतिरिक्त अन्य कोई भू–सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नहीं किया गया।''

   ''VI(क) चूंकि, नगरपालिका क्षेत्रों में अवस्थित राजस्व ग्रामों के चालू खतियान (पंजी–1B) खेसरापंजी एवं पंजी–II (जमाबंदी पंजी) जिन्हें अंचल कार्यालयों में अद्यतन रूप से संधारित किया जाना था, तदनुसार संधारित नहीं किए जा सके एवं परिणामस्वरूप समय–समय पर हो रहे अन्तरण, उत्तराधिकार, दाखिल–खारिज आदि उनमें प्रतिबिम्बित नहीं होते।''
3. **धारा–2 की उप–धारा–2 की कंडिका (xxx) के पश्चात् नये शब्दों की परिभाषा को जोड़ा जाना।–**
   (**xxxi**) **नगरपालिका**–का वही अभिप्रेत होगा जो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अधीन 'नगरपालिका' का अभिप्रेत है।
   (**xxxii**) **रोवर**–से अभिप्रेत है सरकार द्वारा निर्धारित मानकों एवं मापदण्डों के अनुसार उपग्रह से प्राप्त संकेतों से धरातल के निर्देशांकों को जोड़ते हुए भूमि की मापी करने वाला आधुनिक संयत्र।
   (**xxxiii**) **जी०एन०एस०एस० (ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाईट सिस्टम)**–से अभिप्रेत है स्थान विशेष के विशिष्ट निर्देशांकों के आधार पर सटीक भूमिमापी के लिए राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रयुक्त किया जाने वाला ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाईट सिस्टम।
   (**xxxiv**) **सतत् संदर्भ प्रणाली केन्द्र, कोर्स (Continuously Operated Reference Station, CORS)**– से अभिप्रेत है भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा उपग्रह से प्राप्त आँकड़ो के आधार पर किसी भी स्थान की सटीकता, समरूपता एवं आँकड़ो के सत्यापन के लिए स्थापित किये गये केन्द्र।
4. **अधिनियम की धारा–6 की उप–धारा–(2) का प्रतिस्थापन।**– उक्त अधिनियम की धारा–6 की उप–धारा–(2) को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेंगी:–

   ''(2) किस्तवार कार्यान्वयन, स्थानीय स्तर पर, पंचायती राज/ नगरपालिका संस्थानों तथा सम्बन्धित ग्रामों/नगरपालिका क्षेत्रों की जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने एवं सुविधा देने के लिए सम्यक रूप से प्रचारित किया जाएगा।''
5. **अधिनियम की धारा–7 उप–धारा–(1) एवं (2) का प्रतिस्थापन एवं उप–धारा–2 के पश्चात् नयी उप–धारा–7(2क) को जोड़ा जाना।**–उक्त अधिनियम की धारा–7 की उप–धारा–(1) एवं (2) को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा तथा अधिनियम की उप–धारा–2 के पश्चात् नयी उप–धारा–7(2क) जोड़ी जायेगी:–

   ''**7 खानापुरी दलों का गठन तथा अधिकार अभिलेख प्रारूप की तैयारी– (1)** किस्तवार कार्यान्वयनों के लिए उत्तरदायी अभिकरण एवं अमीनों के सहयोग से आधारभूत अधिकार अभिलेख को अद्यतन तथा तैयार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित राजस्व ग्रामों/नगरपालिका क्षेत्रों के लिए अलग–अलग खानापुरी दलों का गठन किया जाएगा।''

'' (2) ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित राजस्व ग्रामों के लिए खानापुरी दल निम्नलिखित को मिलाकर गठित होगीः–

(i) सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी।

(ii) कानूनगो।

(iii) अमीन।

''7(2क) नगरपालिका क्षेत्रों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं नगरपालिका स्थापना के पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा आवश्यकतानुसार अन्य तकनीकी रूप से दक्ष कर्मियों को मिलाकर खानापुरी दल का गठन किया जाएगा। दल में सदस्यों की संख्या का निर्धारण आवश्यकतानुसार किया जाएगा।''

6. **अधिनियम की धारा–8 का प्रतिस्थापन।**–उक्त अधिनियम की धारा–8 को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

''8. खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप का प्रकाशन–किस्तवार एवं खानापुरी के दौरान तैयार किए गए मानचित्रों सहित अधिकार अभिलेख प्रारूप को, सम्बन्धित राजस्व ग्राम एवं नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत प्रत्येक वार्ड के सहजदृश्य सार्वजनिक स्थल पर, इस सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया के अनुसार, प्रकाशित किया जाएगा।''

7. **अधिनियम की धारा–9 का प्रतिस्थापन।**– उक्त अधिनियम की धारा–9 को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

''9. खानापुरी अधिकार अभिलेख पर आपत्तियों को आमंत्रित किया जाना सम्बन्धित राजस्व ग्राम तथा नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत खानापुरी कार्यान्वयन के अन्त में दावों एवं आपत्तियों का आमंत्रण एवं संकलन किया जाएगा तथा सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा विहित रीति से निपटारा किया जाएगा।

परन्तु वैसे मामलों की, जिसमें दावों एवं आपत्तियों पर निर्णय इस अधिनियम की धारा–7 के अधीन प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा की गई हो, सुनवाई एवं निपटारा उसी पदाधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी।''

8. **अधिनियम की धारा–10 के वर्तमान प्रावधान को धारा–10 (1) के रूप में पुनः क्रमांकन किया जाना एवं इसके बाद नयी उप–धारा 10(2) को जोड़ा जाना।**–

''10–विश्रान्ति के दौरान कार्य–(1) अधिनियम की क्रमशः धारा–7 एवं 9 के अनुसार आपत्तियों तथा अपीलों के निपटारा के बाद विश्रान्ति में जाँच, सफाई, मुकाबला, रदीफ, तरतीब, तरमीम इत्यादि विहित रीति से किया जाएगा।''

''(2) बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा स्व–प्रेरणा से अपने आदेश द्वारा अधीनस्थ प्राधिकृत किये गये पदाधिकारियों के माध्यम से धारा 10(1) के अधीन किये गये विश्रांति कार्य के क्रम में पाई गई त्रुटियों का निराकरण किया जा सकेगा।''

9. **अधिनियम की धारा–11(1) का प्रतिस्थापन।**– उक्त अधिनियम की धारा–11 की उप–धारा–(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

''(1) अधिनियम की धारा–10(1) एवं धारा–10(2) के अधीन की गई कार्रवाई के उपरांत, किसी राजस्व ग्राम एवं नगरपालिका क्षेत्र के प्रारूप अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन विहित रीति से जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर के अधीन किया जायेगा।''

10. **अधिनियम की धारा–11(2) का प्रतिस्थापन।**–उक्त अधिनियम की धारा–11 की उप–धारा–(2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा–

''(2) प्रारूप अंतिम अधिकार अभिलेख के संबंध में दावों एवं आपत्तियाँ उसके प्रकाशन के तीन माह के भीतर दायर किये जा सकेंगे तथा वैसे दावा एवं आपत्तियों का निपटारा विहित रीति से भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता से अन्यून पंक्ति के एक या एक से अधिक पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

परंतु सुनवाई करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारियों को यदि समाधान हो जाए कि विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण है तो वह सुनवाई हेतु प्राप्त दावा आपत्ति को दायर करने में विलंब को क्षांत कर सकेंगे।''

11 **अधिनियम की धारा–11(3) का प्रतिस्थापन।**–उक्त अधिनियम की धारा–11 की उप–धारा–(3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा–

''(3) उप–धारा–11(2) के तहत दावा एवं आपत्तियों के निपटारा के उपरान्त किसी राजस्व ग्राम अथवा नगरपालिका क्षेत्र के अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन विहित रीति से जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर के अधीन किया जायेगा।''

12 **अधिनियम की धारा–11 की उप–धारा–(4) का जोड़ा जाना।**–उक्त अधिनियम की धारा–11(3) के पश्चात् निम्नांकित नयी धारा–11 (4) को जोड़ा जायेगा।

''(4) ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख की एक प्रति संबंधित अंचल कार्यालय को तथा नगरपालिका क्षेत्रों में अन्तिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख की एक प्रति सम्बन्धित अंचल कार्यालय एवं सम्बन्धित नगरपालिका कार्यालय को दिन प्रतिदिन के राजस्व प्रशासन/नगर प्रशासन में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्रेषित की जाएगी।''

13. **अधिनियम की धारा–12 के पश्चात् नयी धारा–12 ''क'' का जोड़ा जाना।**–उक्त अधिनियम की धारा–12 के पश्चात् निम्नांकित नयी धारा–12''क'' जोड़ी जायेगी।

''12 ''क'' अपीलः– (i) धारा–11(2) के तहत पारित आदेश की अपील की सुनवाई के लिए राज्य सरकार द्वारा एक या एकाधिक अपर समाहर्त्ता से अन्यून स्तर के पदाधिकारियों को अधिसूचित किया जायेगा।

(ii) अपीलीय प्राधिकार किसी पदाधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश को उपान्तरित, परिवर्तित, अपास्त करने का आदेश तब तक पारित नहीं करेगा जब तक कि सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(iii) अपीलीय पदाधिकारी को यदि समाधान हो जाए कि विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण है तो वह अपील हेतु आवेदन दायर करने में हुए विलंब को क्षांत कर सकेगा।

(iv) धारा–11(2) में पारित किये गये आदेश के विरूद्ध प्राप्त अपील का निष्पादन अपील दायर किये जाने की तिथि से यथासंभव 90 कार्य दिवस के अन्दर किया जायेगा।

(V) उपरोक्त अपील अथवा किसी अन्य सक्षम न्यायालय/प्राधिकार के किसी आदेश के द्वारा धारा–11(3) के तहत अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख में किये जाने वाले परिवर्तन, यदि आवश्यक हो, की प्रक्रिया का निर्धारण इस अधिनियम के तहत बनाई गई नियमावली में किया जा सकेगा।''

14. **अधिनियम की धारा–20 की उप–धारा–(2) का प्रतिस्थापन।**– उक्त अधिनियम की धारा–20 की उप–धारा–(2) को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा एवं उप–धारा–(2क) को जोड़ा जायेगा–

''(2) बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 101 से 115, बिहार काश्तकारी नियमावली 1885 के अधीन नियम 40 एवं 42, 45 से 52, 54 से 82 एवं 84 से 100, बिहार एवं उड़ीसा म्यूनिसिपल सर्वे अधिनियम 1920, बिहार एवं उड़ीसा म्युनिसिपल सर्वे नियमावली 1921 को निरसित समझे जाएगें।''

''(2क) उपरोक्त उप–धारा (2) में ऐसे निरसन के होते हुए भी निरसित अधिनियम/नियमावली एवं उनके क्रियान्वयन के लिये निर्गत निर्देशों के अधीन की गई सभी कार्रवाई विधिमान्य रहेंगी, मानो वे इस नियमावली के सुसंगत उपबन्धो के अधीन की गई है।''

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (यथा संशोधित) अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 24, 2011) के सुसंगत प्रावधानों के तहत राज्य में रैयती एवं अन्य प्रकार की भूमि का नया अधिकार अभिलेख (खतियान) एवं भू–मानचित्र (नक्शा) निर्मित किया जा रहा है। उक्त अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्ती (यथा संशोधित) नियमावली, 2012 अधिसूचित है।

राज्य में भूमि/भू–खण्डों के भू–सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्ती के क्रम में यह महसूस किया गया कि नगर क्षेत्र के सर्वेक्षण में शत–प्रतिशत शुद्धता पारदर्शिता एवं गतिशीलता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (यथा संशोधित) अधिनियम, 2011 के कतिपय प्रावधानों में संशोधन/प्रतिस्थापन की आवश्यकता है।

इस विधेयक के अधिनियमित होने के उपरांत नगर क्षेत्रों के राजस्व ग्रामों के भू–सर्वेक्षण कार्य में सुविधा होगी तथा संबंधित ग्रामों/नगर क्षेत्रों की जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी। राजस्व ग्रामों/नगर क्षेत्रों के लिए अलग–अलग खानापुरी दलों का गठन किया जायेगा। अधिकार अभिलेख के संबंध में दावे एवं आपत्तियों उसके अंतिम प्रकाशन के 03 माह के अंदर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के अन्यून पंक्ति के एक या एक से अधिक पदाधिकारी के समक्ष दायर किया जा सकेगा तथा अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के उपरान्त पारित आदेश के विरूद्ध आदेश पारित होने की तिथि से तीन माह के अन्दर एक या एकाधिक भूमि सुधार उप समाहर्त्ता से अन्यून स्तर के पदाधिकारी को राज्य सरकार द्वारा अपील की सुनवाई करने के लिए अधिसूचित किया जा सकेगा।

अतः यही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इसका अभीष्ठ है।

(संजय सरावगी)
भार–साधक सदस्य।

पटना,
दिनांक–22.07.2025

प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 1261-571+10-डी0टी0पी0 ।
Website: https://egazette.bihar.gov.in